



पत्र संख्या- 308/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 08.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 08.08.2026

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

- ➡ □ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
➡ □ थाना अहरौला पुलिस ने वांछित अभियुक्त को फुलवरिया अंडरपास से किया गिरफ्तार

दिनांक 10.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना अहरौला पर तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री करीब 17 वर्षीय किशोरी को अभियुक्त गोलू पुत्र ओमप्रकाश गौड़, निवासी राजेपुर कोपा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0-226/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(2)(m) बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहा था।

दिनांक 08.08.2026 को व0उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी मय हमराह हे0का0 हरिश्चन्द्र भाष्कर क्षेत्र में देखभाल एवं जांच प्रार्थना पत्र के दौरान मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त गोलू पुत्र ओमप्रकाश गौड़, निवासी राजेपुर कोपा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 23 वर्ष को फुलवरिया अंडरपास से समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 226/2026, धारा 137(2)/87/64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- गोलू पुत्र ओमप्रकाश गौड़, निवासी राजेपुर कोपा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी एवं हे0का0 हरिश्चन्द्र भाष्कर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 08.08.2026

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

➡️❑ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️❑ थाना सरायमीर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को नन्दाव मोड़ के पास से किया गिरफ्तार

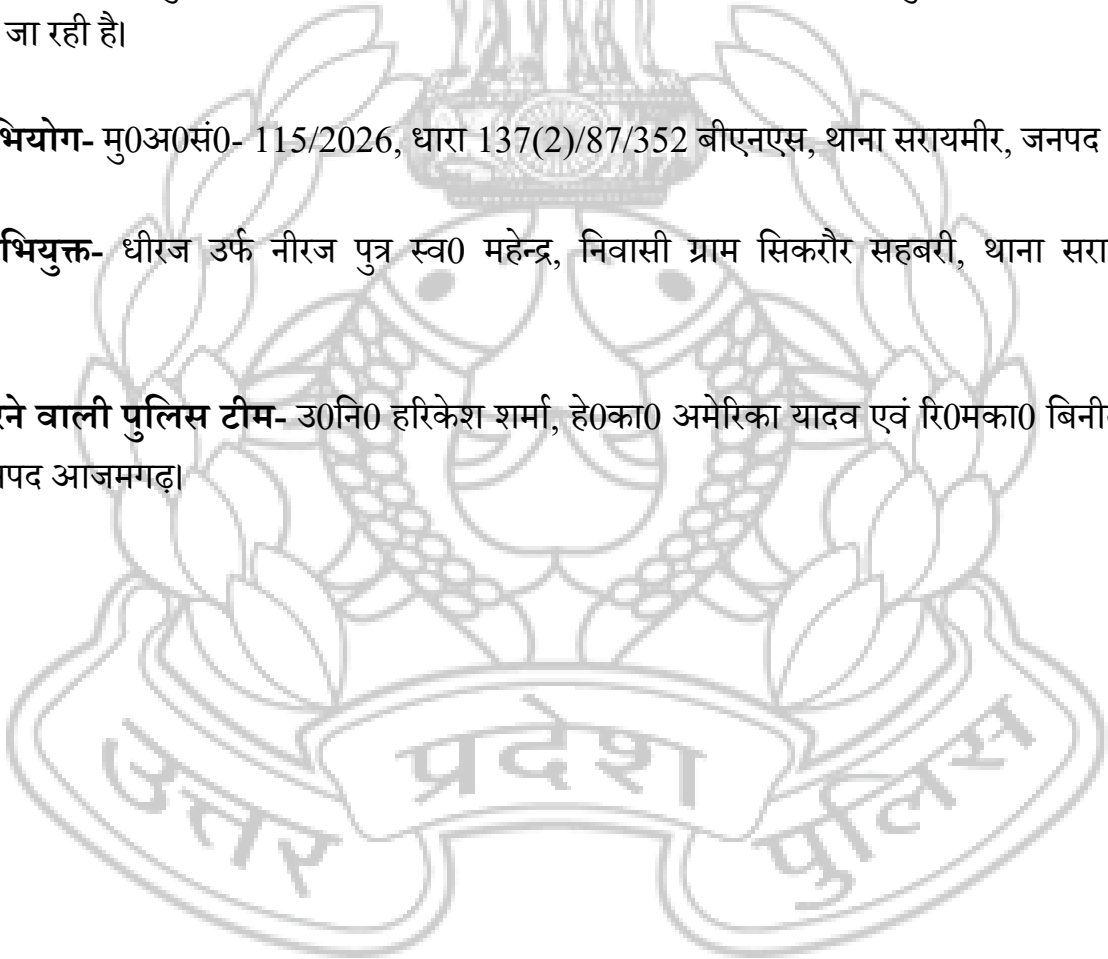
दिनांक 11.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सरायमीर पर तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री को अभियुक्त नीरज पुत्र स्व० महेन्द्र, निवासी ग्राम सिकरौर सहबरी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 09.05.2026 को रात्रि करीब 03:00 बजे बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु०अ०सं०-115/2026, धारा 137(2)/87/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहा था।

दिनांक 07.08.2026 को उ०नि० हरिकेश शर्मा मय हमराह क्षेत्र में देखभाल, जांच प्रार्थना पत्र एवं लंबित विवेचनाओं के दौरान मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त धीरज उर्फ नीरज पुत्र स्व० महेन्द्र, निवासी ग्राम सिकरौर सहबरी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, नन्दाव मोड़ के पास किसी साधन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मुखबिर के इशारे पर अभियुक्त को समय करीब 20:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 115/2026, धारा 137(2)/87/352 बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- धीरज उर्फ नीरज पुत्र स्व० महेन्द्र, निवासी ग्राम सिकरौर सहबरी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० हरिकेश शर्मा, हे०का० अमेरिका यादव एवं रि०मका० बिनीता सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 08.08.2026

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को थाना रौनापार पुलिस ने किया गिरफ्तार

➡️❑ वर्ष 2016 से पीड़िता से सम्पर्क में रहकर शादी का झांसा देने एवं वर्ष 2022 से 2026 तक ग्रेटर नोएडा में साथ रहने का आरोप।

➡️❑ शादी से इनकार करने एवं मारपीट कर नोएडा से भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी/पीड़िता मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रविन्द्र कुमार से वर्ष 2016 से बातचीत होती थी जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा वर्ष 2022 से वर्ष 2026 तक अपने साथ ग्रेटर नोएडा ले गया तथा दोनों साथ रहने लगे। वादिनी द्वारा शादी के लिए कहने पर अभियुक्त द्वारा शादी करने से इनकार करते हुए गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी तथा दिनांक 15.04.2026 को उसे ग्रेटर नोएडा से भगा दिया गया। पीड़िता द्वारा अभियुक्त के घर जाकर घटना की जानकारी देने पर अभियुक्त की मां मीना देवी एवं बहन पुनीता द्वारा भी अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 223/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम रविन्द्र कुमार, मीना देवी एवं पुनीता पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 08.08.2026 को उ0नि0 अम्बुज कुमार राही मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी ग्राम बर्नापुर जगदीशपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को भीमबर पुलिया से समय करीब 11:40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 223/26 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- रविन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी ग्राम बर्नापुर जगदीशपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अम्बुज कुमार राही, का0 रविशंकर चौरसिया, रि0का0 सगीर अहमद खाँ, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 08.08.2026

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ ☐ जान से मारने की नियत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ ☐ घटना में प्रयुक्त एक अदद बाँस का डण्डा बरामद

दिनांक 06.08.2026 को पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम जहनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ में 1-विशाल पुत्र राजेश एवं 2-रिन्ू पत्नी राजेश द्वारा वादिनी रंजना कुमारी पुत्री उर्मिला देवी निवासी जहनियापुर के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी तथा वादिनी की माता के सिर पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गयीं। साथ ही अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त घटना के संबंध में वादिनी द्वारा दिनांक 07.08.2026 को थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 198/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम विशाल पुत्र राजेश व रिन्ू पत्नी राजेश निवासीगण जहनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 08.08.2026 को उ0नि0 योगेश सरोज, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल पुत्र राजेश निवासी ग्राम जहनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को किशुनपुर काशीनाथ के पास से समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बाँस का डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त- विशाल पुत्र राजेश निवासी ग्राम जहनियापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 198/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 बाँस का डण्डा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 योगेश सरोज, कां0 इमरान अंसारी, कां0 अंकित सिंह द्वितीय, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 08.08.2026

थाना-अहरौला, जनपद आजमगढ़

➡️ ☐ साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित के खाते में आजमगढ़ पुलिस ने वापस कराये ₹10,800/-

➡️ ☐ साइबर क्राइम टीम थाना अहरौला की तत्परता से पीड़ित को मिली राहत

घटना का विवरण-

दिनांक 01.04.2025 को धीरज पुत्र भगेलु राम निवासी चौबेपट्टी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के साथ साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी। फ्रॉडस्टर द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से उनके खाते से कुल ₹11,039/- की धनराशि निकाल ली गयी थी। पीड़ित द्वारा तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी।

शिकायत के आधार पर थाना अहरौला की स्थानीय साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि में से ₹10,800/- अभियुक्त के बैंक खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात MRM पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ₹10,800/- की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी गयी।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित धीरज द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं थाना अहरौला की साइबर क्राइम टीम का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया।

साइबर क्राइम टीम थाना अहरौला- उ0नि0 नितेश कुमार चौबे, आ0 धर्मेन्द्र कुमार, म0आ0 सोनी सिंह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

बिल्कुल। आपके बताए क्रम में घटना का विवरण/इतिहास → गिरफ्तारी का विवरण → गिरफ्तार अभियुक्त → पंजीकृत अभियोग → आपराधिक इतिहास → पुलिस टीम रखते हुए प्रभावशाली प्रेस नोट इस प्रकार रहेगा:

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 08.08.2026,

थाना- जीयनपुर जनपद आजमगढ़

* ➡ □ शादी के लिए दबाव बनाने व मना करने पर मोबाइल टावर पर चढ़कर धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार*

* ➡ □ मना करने पर मोबाइल टावर पर चढ़कर धमकी देने के मामले में जीयनपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही*

घटना का विवरण/इतिहास-

दिनांक 08.08.2026 को वादिनी मुकदमा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी शादी कहीं अन्यत्र तय होने के बावजूद अजीम पुत्र असगर निवासी अलीनगर अजमतगढ़, थाना जीयनपुर द्वारा स्वयं से शादी करने अथवा रुपये देने का दबाव बनाया जा रहा था। मना करने पर अभियुक्त द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़कर धमकी देने का आरोप लगाया गया। के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0341/2026 धारा 308(5) बीएनएस बनाम अजीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अजीम पुत्र असगर निवासी अलीनगर अजमतगढ़, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को दिनांक 08.08.2026 को समय करीब 15:00 बजे गोगा साव तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजीम पुत्र असगर निवासी अलीनगर अजमतगढ़, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0341/2026 धारा 308(5) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0341/2026 धारा 308(5) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विनय कुमार यादव, हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।